http://krishipravahika.vitalbiotech.org/

कृषि प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका

e-ISSN: 2583 – 0430

कृषि-प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका, (2026) वर्ष 6, अंक 7, 63-66

Article ID:626

बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) के उद्देश्य, प्रकार, संरक्षण तंत्र एवं अनुप्रयोग

राहुल चंद्रकांत कालदाते[1], आशुतोष कुमार[1], गिरिजा चौधरी[1], आशुतोष सिंह[1], गौरव शर्मा[1], गोविंद विश्वकर्मा[2]

[1]रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी, उ.प्र.
[2]सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, उ.प्र.

*अनुरूपी लेखक
आशुतोष कुमार*

बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) वे अधिकार हैं जो सृजनकर्ताओं, आविष्कारकों तथा नवप्रवर्तकों को उनकी बौद्धिक रचनाओं एवं आविष्कारों की एक निश्चित अवधि तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य नवाचार रचनात्मकता तथा बौद्धिक संपत्तियों के विकास को प्रोत्साहित करना है, जिससे उनके उपयोग एवं व्यावसायीकरण पर विशेष अधिकार प्राप्त हो सकें। औद्योगिक संपदा के संरक्षण हेतु पेरिस अभिसमय–1883 तथा साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय–1886 ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा के महत्व को मान्यता प्रदान की। इन ऐतिहासिक समझौतों की देखरेख विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा की जाती है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली की आधारशिला रखी।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) के उद्देश्य

- **बौद्धिक सृजन का संरक्षण:** बौद्धिक संपदा अधिकार मानव बुद्धि से उत्पन्न आविष्कारों, रचनात्मक कृतियों एवं नवाचारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा उन्हें भौतिक संपत्ति के समान मूल्यवान संपत्ति के रूप में मान्यता देते हैं।
- **नवाचार एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन:** आई.पी.आर. आविष्कारकों एवं नवप्रवर्तकों को विशिष्ट अधिकार प्रदान करके अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देता है, जिससे निरंतर तकनीकी नवाचार एवं प्रगति संभव होती है।
- **नवाचार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा:** मजबूत बौद्धिक संपदा संरक्षण नवाचार को प्रोत्साहित करता है, व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाता है तथा नए आविष्कारों के व्यावसायीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है।
- **क्षेत्रीय अधिकारों का संरक्षण:** बौद्धिक संपदा अधिकार प्रायः क्षेत्रीय होते हैं। विभिन्न देशों एवं न्यायक्षेत्रों में बौद्धिक संपदा संबंधी कानून अलग–अलग होते हैं, इसलिए जहाँ–जहाँ संरक्षण की आवश्यकता होती है, वहाँ अलग से अधिकार प्राप्त करना एवं उनका प्रवर्तन करना आवश्यक होता है।
- **अमूर्त संपत्तियों का संरक्षण:** आई.पी.आर. विभिन्न प्रकार के कानूनी अधिकारों का समूह है, जो अमूर्त संपत्तियों जैसेकृडिज़ाइन, ट्रेडमार्क, साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियाँ, आविष्कार तथा अन्य बौद्धिक सृजन की सुरक्षा प्रदान करता है।
- **आई.पी.आर. प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना:** आई.पी.आर. प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ एवं अद्यतन बनाना है, ताकि प्रभावी, पारदर्शी तथा उपयोगकर्ता–केंद्रित सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें।
- **जागरूकता एवं क्षमता निर्माण:** आई.पी.आर. का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित मानव संसाधन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, संस्थागत आधारभूत संरचना तथा कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है।
- **प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण एवं हस्तांतरण को बढ़ावा:** आई.पी.आर. नई तकनीकों के व्यावसायीकरण, लाइसेंसिंग तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक एवं औद्योगिक विकास को बल मिलता है।

बौद्धिक संपदा के प्रकार

पेटेंट बौद्धिक संपदा अधिकार के सबसे महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक है। यह ऐसे नए आविष्कारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जिनमें आविष्कारशीलता हो तथा जिनका औद्योगिक उपयोग संभव हो। ऐसे उत्पाद या प्रक्रियाएँ जो किसी तकनीकी समस्या का नया समाधान प्रस्तुत करती हैं अथवा किसी मौजूदा समस्या का रचनात्मक एवं नवीन समाधान प्रदान करती हैं, पेटेंट प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकती हैं। जिस आविष्कारक को पेटेंट प्राप्त होता है, उसे विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों के अंतर्गत वह अन्य व्यक्तियों को उसकी अनुमति के बिना उसके आविष्कार का निर्माण, उपयोग, विक्रय अथवा उससे लाभ अर्जित करने से रोक सकता है। पेटेंट सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक वैधानिक (कानूनी) अधिकार है, जो किसी आविष्कार को एक निर्धारित अवधि तक मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ में पेटेंट संरक्षण आवेदन की तिथि से 14 वर्षों के लिए दिया जाता था। खाद्य तथा औषधि प्रक्रियाओं से संबंधित पेटेंट के लिए विशेष प्रावधान भी थे। बाद में

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संशोधन किए गए। वर्तमान में भारत में पेटेंट आवेदन की तिथि से 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि निर्धारित शुल्क का समय–समय पर भुगतान किया जाए। इस अवधि के दौरान पेटेंटधारक को अपने पेटेंटयुक्त आविष्कार के उपयोग, निर्माण, लाइसेंस प्रदान करने तथा विपणन का पूर्ण एवं विशिष्ट अधिकार प्राप्त होता है।

पेटेंट के प्रकार

उपयोगिता पेटेंटः उपयोगिता पेटेंट वह पेटेंट है जो किसी नए एवं उपयोगी उत्पाद, प्रक्रिया, मशीन, विनिर्माण अथवा पदार्थ की संरचना के आविष्कार या खोज तथा पहले से उपलब्ध तकनीक में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के लिए प्रदान किया जाता है। यह सबसे अधिक प्रदान किया जाने वाला पेटेंट है तथा किसी आविष्कार की कार्यात्मक विशेषताओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। भारत में अधिकांश पेटेंट आवेदन इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा ऐसे आविष्कारों को संरक्षण प्रदान किया जाता है जो नवीन होने के साथ–साथ औद्योगिक उपयोग के योग्य हों। सामान्यतः उपयोगिता पेटेंट पेटेंट आवेदन की तिथि से 20 वर्षों तक प्रभावी रहता है, बशर्ते कि निर्धारित वार्षिक नवीकरण शुल्क का समय पर भुगतान किया जाता रहे। ***उदाहरणः*** कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, चिकित्सा उपकरण, औद्योगिक मशीनें एवं उपकरण, विनिर्माण प्रक्रियाएँ, रासायनिक संरचनाएँ, विभिन्न तकनीकी नवाचार इत्यादि।

डिज़ाइन पेटेंटः डिज़ाइन पेटेंट किसी वस्तु की सजावटी, सौंदर्यात्मक एवं गैर–कार्यात्मक विशेषताओं को संरक्षण प्रदान करता है। इसमें किसी वस्तु का आकार, विन्यास, पैटर्न, सतही अलंकरण अथवा उसका समग्र दृश्य स्वरूप सम्मिलित होता है। डिज़ाइन को संरक्षण प्राप्त करने के लिए उसका नवीन, मौलिक तथा दृष्टिगत रूप से आकर्षक होना आवश्यक है। डिज़ाइन पेटेंट केवल किसी वस्तु के बाहरी स्वरूप की रक्षा करता है, जबकि उपयोगिता पेटेंट उसके कार्यात्मक पक्ष की सुरक्षा करता है। इस प्रकार, डिज़ाइन पेटेंट किसी उत्पाद के विशिष्ट बाहरी स्वरूप की अनधिकृत नकल या प्रतिलिपि के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। ***उदाहरणः*** स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी, कोका–कोला की बोतल का प्रसिद्ध एवं विशिष्ट आकार इत्यादि।

पादप पेटेंटः पादप पेटेंट एक ऐसी बौद्धिक संपदा सुरक्षा है जो किसी नई, विशिष्ट एवं नवीन पौध किस्म को प्रदान की जाती है। यह पेटेंटधारक को उस संरक्षित पौध किस्म के अनधिकृत प्रजनन, प्रवर्धन, विक्रय, उपयोग अथवा व्यावसायिक दोहन को रोकने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। पादप पेटेंट का मुख्य उद्देश्य नई विकसित पौध किस्मों के विशिष्ट आनुवंशिक एवं दृश्य/आकृतिक गुणों का संरक्षण करना है। इससे कृषि अनुसंधान, पादप प्रजनन तथा कृषि नवाचार को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार, पादप पेटेंट किसी नई पौध किस्म एवं उसकी विशिष्ट विशेषताओं के अवैध उपयोग अथवा अनधिकृत प्रतिलिपि को रोकने के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

ट्रेडमार्क

ट्रेडमार्क एक विशिष्ट पहचान चिह्न है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति, कंपनी या संगठन के उत्पादों अथवा सेवाओं को अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के उत्पादों एवं सेवाओं से अलग पहचान देने के लिए किया जाता है। ट्रेडमार्क उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा तथा उत्पत्ति–स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे सही खरीद निर्णय ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ट्रेडमार्क किसी कंपनी की ब्रांड पहचान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठा की रक्षा करता है तथा समान या मिलते–जुलते चिह्नों के अनधिकृत उपयोग को रोकता है। भारत में ट्रेडमार्क का पंजीकरण प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। इसके बाद निर्धारित नवीकरण शुल्क का भुगतान करके इसे प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के लिए अनिश्चितकाल तक नवीनीकृत कराया जा सकता है। ट्रेडमार्क निम्नलिखित में से किसी एक या इनके संयोजन के रूप में हो सकता हैकृशब्द, अक्षर, अंक, वाक्यांश, प्रतीक, लोगो, डिज़ाइन, रंग, आकार, ध्वनि, पैकेजिंग, बनावट इत्यादि।

औद्योगिक अभिकल्प

औद्योगिक अभिकल्प से तात्पर्य किसी उत्पाद के सजावटी, सौंदर्यात्मक अथवा दृश्य स्वरूप से है, जो कलात्मक एवं रचनात्मक प्रयासों का परिणाम होता है। इन विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैंकृउत्पाद का आकार, विन्यास, पैटर्न, अलंकरण, समग्र बाहरी स्वरूप ये विशेषताएँ किसी उत्पाद को आकर्षक बनाती हैं तथा उसे अन्य उत्पादों से अलग पहचान प्रदान करती हैं। किसी पंजीकृत औद्योगिक अभिकल्प के स्वामी को डिज़ाइन अधिकार प्राप्त होते हैं, जो नवीन एवं मौलिक डिज़ाइनों को कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं। औद्योगिक अभिकल्प बौद्धिक संपदा अधिकार का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह उत्पादों के दृश्य स्वरूप की सुरक्षा करके नवाचार एवं रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। भारत में औद्योगिक अभिकल्पों का संरक्षण डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत किया जाता है। यह अधिनियम भारत की डिज़ाइन संरक्षण प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं तकनीकी विकास के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। पंजीकृत औद्योगिक अभिकल्प का स्वामी ही उस डिज़ाइन या उससे अत्यधिक मिलते–जुलते डिज़ाइन वाले उत्पादों के निर्माण, आयात, विपणन अथवा व्यावसायिक उपयोग को अन्य व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति किए जाने से रोकने का विशेष अधिकार रखता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रिप्स समझौता औद्योगिक अभिकल्पों के संरक्षण को मान्यता देता है तथा सदस्य देशों के लिए उनके संरक्षण एवं प्रवर्तन के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है।

व्यापारिक गोपनीयता

व्यापारिक गोपनीयता बौद्धिक संपदा का वह रूप है, जिसमें ऐसी गोपनीय व्यावसायिक जानकारी शामिल होती है जो उसके स्वामी को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है।

व्यापारिक गोपनीयता में निम्नलिखित प्रकार की जानकारी सम्मिलित हो सकती हैकृप्रक्रियाएँ, सूत्र, विधियाँ, तकनीकें, डिज़ाइन, पैटर्न, व्यावसायिक रणनीतियाँ, ग्राहक सूची, अन्य स्वामित्व वाली गोपनीय जानकारी ५ यह जानकारी आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होती है क्योंकि यह सामान्य रूप से सार्वजनिक नहीं होती तथा अन्य लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होती। किसी जानकारी को व्यापारिक गोपनीयता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक हैकृजानकारी आर्थिक रूप से मूल्यवान हो, जानकारी गोपनीय हो, उसके स्वामी द्वारा उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित एवं आवश्यक उपाय किए गए हों। व्यापारिक गोपनीयता तब तक सुरक्षित रहती है जब तक संबंधित जानकारी गोपनीय बनी रहती है और उससे निरंतर व्यावसायिक लाभ प्राप्त होता रहता है। व्यापारिक गोपनीयता को अन्य बौद्धिक संपदाओं की तरह लाइसेंस, हस्तांतरित अथवा बेचा भी जा सकता है। व्यापारिक गोपनीयता का संरक्षण व्यवसायों को उनके विशिष्ट ज्ञान एवं नवाचारों की रक्षा करने में सहायता करता है, जिससे उनकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति तथा व्यावसायिक सफलता मजबूत होती है।

भौगोलिक संकेतक

भौगोलिक संकेतक एक ऐसा चिह्न है जिसका उपयोग उन वस्तुओं की पहचान के लिए किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा अथवा अन्य विशिष्ट विशेषताएँ उस स्थान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। भौगोलिक संकेतक सामान्यतः निम्नलिखित उत्पादों के लिए उपयोग किए जाते हैं–कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ, मदिरा, संगमरमर, हस्तशिल्प, औद्योगिक उत्पाद। भौगोलिक संकेतक किसी क्षेत्र की विशिष्ट पहचान, परंपरा तथा गुणवत्ता का संरक्षण करते हैं और उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक उत्पत्ति एवं गुणवत्ता का विश्वास प्रदान करते हैं। प्रमुख उदाहरणकृ बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय इत्यादि।

भौगोलिक संकेतक पंजीकरण के लाभ

- **कानूनी संरक्षणः** पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे उनकी पहचान मजबूत होती है तथा निर्यात के अवसर बढ़ते हैं। इससे देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान मिलता है।
- **अनधिकृत उपयोग पर प्रतिबन्धः** ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा पंजीकृत उत्पादों के अनधिकृत उपयोग, दुरुपयोग या नकली उत्पादों के निर्माण को रोकता है, जिन्हें इनका उपयोग करने का अधिकार नहीं है।
- **उत्पादकों एवं स्थानीय समुदायों का आर्थिक विकासः** किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के उत्पादों के उत्पादन से जुड़े किसानों, कारीगरों एवं स्थानीय समुदायों की आय तथा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाता है।
- **पारंपरिक ज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत संरक्षणः** संबंधित क्षेत्र की पारंपरिक उत्पादन पद्धतियों, सांस्कृतिक विरासत तथा विशिष्ट उत्पादन तकनीकों के संरक्षण एवं संवर्धन में सहायता करता है।

कॉपीराइट

कॉपीराइट वह कानूनी अधिकार है जो लेखकों, कलाकारों, संगीतकारों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तथा अन्य साहित्यिक, कलात्मक, संगीतमय, नाट्य एवं बौद्धिक कृतियों के रचनाकारों को उनकी रचनाओं की सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। कॉपीराइट रचनाकार को अपनी कृति की प्रतिलिपि, प्रकाशन, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन, रूपांतरण तथा व्यावसायिक उपयोग का विशेष अधिकार प्रदान करता है तथा उसके अनधिकृत उपयोग को रोकता है। भारत में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अनुसार साहित्यिक, नाट्य, संगीत एवं कलात्मक कृतियों को सामान्यतः लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्षों तक कॉपीराइट संरक्षण प्राप्त होता है।

कॉपीराइट द्वारा संरक्षित कृतियाँः कॉपीराइट निम्नलिखित प्रकार की रचनात्मक कृतियों को संरक्षण प्रदान करता है–पुस्तकें, नाटक, कविताएँ, विश्वकोश, समाचार–पत्र एवं कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, चलचित्र, संगीत रचनाएँ, नृत्य एवं कोरियोग्राफिक प्रस्तुतियाँ, चित्रकला, रेखाचित्र, फोटोग्राफ एवं मूर्तियाँ, वास्तुशिल्पीय डिज़ाइन, विज्ञापन, मानचित्र, तकनीकी चित्र इत्यादि।

बौद्धिक संपदा अधिकार के अनुप्रयोग

- **आविष्कारों एवं नवाचारों का संरक्षणः** आई.पी.आर. नए आविष्कारों, तकनीकों, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के अनधिकृत उपयोग, प्रतिलिपि निर्माण तथा व्यावसायीकरण को रोकता है।
- **अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहनः** आई.पी.आर. आविष्कारकों एवं रचनाकारों को विशेष अधिकार प्रदान करके वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास एवं नवाचार में निवेश को बढ़ावा देता है।
- **बौद्धिक संपत्तियों का व्यावसायीकरणः** बौद्धिक संपदा का लाइसेंस, विक्रय, फ्रेंचाइज़ी अथवा हस्तांतरण करके व्यक्ति एवं संस्थाएँ अपनी बौद्धिक संपत्तियों से आर्थिक लाभ अर्जित कर सकती हैं।
- **ब्रांड संरक्षण एवं बाजार पहचानः** ट्रेडमार्क ब्रांड नाम, लोगो एवं प्रतीकों की सुरक्षा करता है, जिससे व्यवसाय अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करते हैं तथा उपभोक्ताओं का विश्वास प्राप्त करते हैं।
- **रचनात्मक कृतियों का संरक्षणः** कॉपीराइट साहित्यिक, कलात्मक, संगीतमय, वास्तुशिल्पीय एवं सॉफ्टवेयर संबंधी कृतियों की सुरक्षा करता है, जिससे रचनाकारों को सम्मान एवं आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।
- **प्रौद्योगिकी का हस्तांतरणः** आई.पी.आर. लाइसेंसिंग समझौतों एवं सहयोगात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाता है।
- **उद्यमिता को प्रोत्साहनः** मजबूत आई.पी.आर. प्रणाली स्टार्टअप एवं उद्यमियों को उनके नवाचारों की सुरक्षा प्रदान करके बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उपलब्ध कराती है।

- **कृषि एवं पौध किस्मों का संरक्षणः** पौध प्रजनकों के अधिकार एवं पादप पेटेंट बेहतर उपज, उच्च गुणवत्ता तथा कीट एवं रोग प्रतिरोधी फसल किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
- **औद्योगिक विकास एवं आर्थिक वृद्धिः** आई.पी.आर. औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, निवेश आकर्षित करता है, रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है तथा राष्ट्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- **उपभोक्ता संरक्षणः** ट्रेडमार्क एवं भौगोलिक संकेतक उपभोक्ताओं को वास्तविक उत्पादों की पहचान करने में सहायता करते हैं तथा उत्पाद की गुणवत्ता एवं उत्पत्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।
- **व्यापारिक गोपनीयता का संरक्षणः** आई.पी.आर. गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकियों, विनिर्माण प्रक्रियाओं तथा व्यावसायिक रणनीतियों की सुरक्षा करता है, जो किसी व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती हैं।
- **वैश्विक व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकताः** बौद्धिक संपदा अधिकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाते हैं, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करते हैं तथा ज्ञान–आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था में देशों एवं उद्योगों की प्रभावी भागीदारी को समर्थन प्रदान करते हैं।

कृषि में बौद्धिक संपदा अधिकार के अनुप्रयोग

- पादप किस्म संरक्षण के माध्यम से नई फसल किस्मों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना।
- कृषि जैव–प्रौद्योगिकी से संबंधित आविष्कारों को पेटेंट संरक्षण प्रदान करना।
- कृषि उत्पादों एवं कृषि ब्रांडों को ट्रेडमार्क के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना।
- क्षेत्र–विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक का संरक्षण प्रदान करना।
- बीज–प्रौद्योगिकी, जैव–उर्वरक, जैव–कीटनाशक तथा कृषि मशीनरी में किए गए नवाचारों की सुरक्षा करना।
- अनुसंधान संस्थानों से किसानों तथा कृषि–व्यवसाय उद्योगों तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाना।